13/04/18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। तहसीलदार टोंक के पत्रांक भू/2018/2257 दिनांक 11.04.18 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली रहे। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का आवेदन पत्र मे अंकित भूमि पर कब्जाकाश्त है। वर्तमान मे मौके पर जमीन खाली है। आराजीयात के सम्बंध मे किसी न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नही है।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। न्यायालय प्रार्थीया के आवेदन पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सुनेलाहाजीपुरा के खाता संख्या 154 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खसरा नम्बर 790 रकबा 1.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 791 रकबा 1.10 बीघा, खाता सख्या 41 जमबान्दी सम्वत 2072–75 के खसरा नम्बर 759 रकबा 3.05 बीघा एवं खाता संख्या 131 के खसरा नम्बर 792 रकबा 1.07 बीघा मे मौके पर प्रार्थीया के कब्जाकाश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी कर पालना से अवगत करावे।

पत्रावली फैसलशूमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner